राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2207/2013/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत–प्रथम, बांसवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हिन्द पेपर मार्ट,
पुरानी मण्डी, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 134/12–13/वैट/अजमेर में पारित आदेश दिनांक 05.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, प्रथम, बांसवाडा (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् शास्ति राशि रूपये 1,80,832/– एवं वैट राशि रुपये 30,139/– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, द्वितीय, बांसवाडा (जिसे आगे **"अभियोजन अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा एन.एच.रतनपुर, बांसवाडा पर दिनांक 11.09.2012 को वाहन संख्या जीजे–9–जेड–5021 की चैकिंग की, तो पाया कि घोषणा पत्र वैट–47 अवधिपार हो चुका है, एवं घोषणा पत्र के पार्ट ए में प्रत्यर्थी व्यवहारी का नाम, पता व टिन संख्या अंकित नहीं थे। इस पर अभियोजन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् अभियोग बनाकर प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दिया। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब के साथ नया वैट–47 प्रस्तुत किया, जिससे असंतुष्ट होकर सक्षम अधिकारी ने शास्ति राशि रूपये 1,80,832/– एवं वैट राशि रूपये 30,139/– का आरोपण कर दिया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल पाने वाले को घोषणा पत्र वैट–47 पहले ही भेजा जा चुका था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भूलवश अवधिपार घोषणा पत्र पेश हो गया था एवं 2009 (2 वैट रिपोर्टर 226 आरटीवी) में लिखा है कि अवधिपार घोषणा पत्र पर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच माल से सम्बन्धित घोषणा पत्र वैट–47 अवधिपार हो चुका था, एवं घोषणा पत्र वैट–47 के पार्ट ए में प्रत्यर्थी व्यवहारी का नाम, पता व टिन संख्या अंकित नहीं थे। इस बाबत् प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ नया वैट–47 प्रस्तुत कर दिया था। सक्षम अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा धारा 76(6) के प्रावधानों का उल्लंघन कर करापवंचन की नियत से माल का परिवहन किया जा रहा था। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.08.2013 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य